

न्यासी बोर्ड
राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना,
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: प. 15(7)आरपीएमएफ/2012 3967-4000 दिनांक

31 MAY 2013

कोषाधिकारी,
समस्त ।

विषय:- राज्य पेंशनर्स को नई मेडिकल डायरियां जारी करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प.15 (7) आरपीएमएफ/2010/1576-1612 दिनांक 22.02.2013 के क्रम में कम्प्यूटरीकृत मेडिकल डायरियां जारी करने के कार्य की वर्तमान प्रगति एवं पेंशनर को दवा प्राप्त करने में असुविधा न हो इसके मद्देनजर पुरानी मेडिकल डायरियों से दवा प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक 31.08.2013 निर्धारित की जाती है, अर्थात् पुरानी मेडिकल डायरियों से 31.08.2013 तक पेंशनर्स को दवा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

अतः उक्त निर्णय का कोषालय, जिला कलेक्टर, उपभोक्ता संघ/भण्डारों की दुकानों एवं पेंशनर समाज के स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कराया जावे।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 783-820 दिनांक 31.01.2013 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे एवं साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से निर्धारित प्रारूप में गिजवानों की व्यवस्था करावे। साथ ही 31.08.2013 तक सभी पेंशनरों को नई डायरियां उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर
दिनांक

31 MAY 2013

क्रमांक: प. 15(7)आरपीएमएफ/2012 4001-38
प्रतिलिपी: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राज0 जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राज0।
4. संयुक्त शासन सचिव वित्त (पेंशन एवं बीमा) विभाग राज0 जयपुर।
5. निदेशक कोष एवं लेखा राज0 जयपुर।
6. प्रबंध संचालक राज. सहकारी उपभोक्ता संघ लि. राज0 जयपुर।
7. श्री डी.सी.गुप्ता अध्यक्ष राजस्थान पेंशनर समाज, जयपुर।

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर